

भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/7/2013-अ.भा.से.-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 25 जून, 2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्य प्रदेश और केरल सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, डॉ. के. वासुकी, भा.प्र.से. (मध्य प्रदेश: 08) को डॉ. एस. कार्तिकेयन, भा.प्र.से. (केरल: 11) के साथ विवाह के आधार पर, मध्य प्रदेश संवर्ग से केरल संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।



(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092695

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)